फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

ार्थी : श्री शंकरलाल	विपक्षी : श्री मांगीलाल
केस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम	पत्रावली संख्या : 53/21

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 22.11.2021	

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प रख्यावल में पेश हुई। अधिक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 7 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 7 बाजवूद सूचना अब तक अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित होकर वादी के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 7 वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रकरण में वादी खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार नहीं होते हुए भी वादी के कब्जे काश्त में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादीगण को रोका नहीं जाता है तो वादी खातेदार के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 1105, 1106, 1107, 1108, 1113, 1131, 1132, 1133 कता 8 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 7 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 13:01:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO)

मूल वाद में डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री शंकरलाल पिता रूपलाल गाडरी निवासी रख्यावल तह. मावली।

..................वादी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता उदयलाल गाडरी निवासी रख्यावल तह. मावली।
2. श्री लालुराम पिता मांगीलाल गाडरी निवासी रख्यावल तह. मावली।
3. श्री नन्दलाल पिता तुलसीराम गाडरी निवासी रख्यावल तह. मावली।
4. श्री रामलाल पिता अमरा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
5. श्री मांगीलाल पिता दोला डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
6. श्री नारायणलाल पिता कालु गाडरी निवासी रख्यावल तह. मावली।
7. श्री रामलाल पिता कालु गाडरी निवासी रख्यावल तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 53/21 (वाद) GCMS No. – 2021/108

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 1105, 1106, 1107, 1108, 1113, 1131, 1132, 1133 किता 8 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 7 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शान्तिपूर्वक उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.11.2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 13:01:45 IST
Reason: SelfAttested